

12/5/20
पत्रावली पेश हुई। पत्रकारान को अधिभाषक
महोदय को उपस्थित। श्रीमान पीतारसोत अधिकारी
महोदय को अवकाश में तयारीक रखते हैं
पत्रावली दिनांक 21-7-2020 को पेश हो

21/8/20
पत्रावली पेश हुई। पत्रकारान को अधिभाषक
महोदय को उपस्थित। श्रीमान पीतारसोत अधिकारी
महोदय को अवकाश में तयारीक रखते हैं
पत्रावली दिनांक 5-10-2020 को पेश हो

5/10
2020

पत्रावली पेश हुई। पत्रकारान को अधिभाषक
महोदय को उपस्थित। श्रीमान पीतारसोत अधिकारी
महोदय को अवकाश में तयारीक रखते हैं
पत्रावली दिनांक 3/11/2020 को पेश हो

3.12.20

वकील प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 10.3.21
को पेश हो।

10.3.21

पत्रावली पेश हुई वकील पत्रकारान उपस्थित
है। प्राथमिक डिप्टी की अनुपालना में बंटवारा
रिपोर्ट द्वारा तहसीलदार नैनवां प्राप्त हो
चुकी है। बंटवारा रिपोर्ट पर बहस उभय-
पक्षकारान हुती गडी वकील उभयपक्षकारान
द्वारा बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार बंटवारा
किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति
पेश नहीं की। अतः दिनांक 14.06.20



पत्रावली
उपस्थित अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

नम्बर
अहकाम
हुकम
में

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

को जारी निर्णय अधिमंड डिक्री की पालना
में तहसीलदार नैनवां से प्राप्त बंटवारा
रिपोर्ट दिनांक 06-01-2021 के अनुसार
बंटवारा किया जाना न्यायोचित है अतः
वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता
है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य
निष्णातुसार बंटवारा किये जाने के आदेश
दिये जाते हैं -

ख.नं. रकबा

1. राजाराम पि० सुल्तान कॉम मीन 222 0-04 कि०
सा० देवरिया खेतों में मु० बंडा

2. शिवजीलाल पि० बजरंगा
हि० 5/33, शंकरलाल, फोरक्यांतल 222 3-06 में मु० बंडा
पि० बजरंगा, दाखा बाई, जमना बाई
पुत्रियां बजरंगा हि० 28/33 कॉम
मीना सा० देवरिया खेतदार

उक्तानुसार ग्राम डोकून तहसील नैनवां
जिला बून्दी राजस्थान की जमाबन्दी सभर
2071-74 के खाता ले. 309 के खसरा ले.
222 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वां भूमि का
विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य
किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
प्रतिवादीगण को लघुभागी निषेधाज्ञा से बांध
किया जाता है कि वे वादी के विभाजन से
हिससे में प्राप्ती भूमि पर किसी छ्कार का
हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही किसी
अन्य से करवावे। डिक्री फर्मा जारी है।
निर्णय मेरे द्वारा दिनांक 10.3.21 को खुले न्यायालय
में सुनाया गया। पत्रावली बाउ लकील नखिल
दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)